दिनांक- 04.06.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 134/26

महोबा पुलिस

जनसुनवाई

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में वर्चुअल जनसुनवाई का आयोजन किया गया, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

- आज दिनांक 04.06.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा से गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल जनसुनवाई आयोजित की गई। इस पहल के अंतर्गत जनपद के समस्त पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से सीधे जुड़कर जनसमस्याओं के समाधान में सहभागी बने।
- जनसुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आये शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना गया तथा संबंधित थाना प्रभारियों से सीधे संवाद स्थापित कर प्रत्येक प्रकरण के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।
- पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतों का निस्तारण पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को शीघ्र न्याय एवं राहत प्राप्त हो सके।
- साथ ही उन्होंने जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रत्येक स्तर पर प्रभावी एवं उत्तरदायी पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर बल दिया। महोबा पुलिस- समस्याओं का समाधान, पारदर्शिता के साथ

महोबा पुलिस

दिनांक- 04.06.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 133/26

ऑपरेशन मुस्कान की बड़ी सफलता:- 03 वर्षों से बिछड़ा 'विपिन' सकुशल मिला, महोबा पुलिस ने परिवार की खुशियां लौटाईं, परिजनों ने कहा हमारे लिए देवदूत बनी महोबा पुलिस...।

महोबा पुलिस की संवेदनशीलता, सतत प्रयास और दृढ़ संकल्प ने एक परिवार के तीन वर्षों के इंतजार को आखिरकार खुशी में बदल दिया। वर्ष 2023 से गुमशुदा बालक वीपेन्द्र उर्फ विपिन को थाना एएचटी एवं थाना महोबकंठ पुलिस की संयुक्त टीम ने हरियाणा के पानीपत जनपद से सकुशल बरामद कर परिजनों से मिलाया।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंह के नेतृत्व में जनपद में गुमशुदा एवं अपहृत बच्चों की बरामदगी हेतु संचालित "ऑपरेशन मुस्कान" के अंतर्गत यह उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है।

थाना महोबकंठ पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 38/23 धारा 363 भादवि से संबंधित गुमशुदा बालक वीपेन्द्र उर्फ विपिन पुत्र खूबचन्द्र पाल निवासी ग्राम रूरीकला की तलाश में पुलिस लगातार प्रयासरत थी। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों एवं मुखबिर की सूचना के आधार पर बालक के हरियाणा के जनपद पानीपत में होने की जानकारी प्राप्त हुई। इसके बाद थाना एएचटीयू प्रभारी निरीक्षक श्री अवधेश कुमार मिश्र के नेतृत्व में थाना एएचटीयू एवं थाना महोबकंठ पुलिस की संयुक्त टीम को हरियाणा रवाना किया गया।

पानीपत में गहन छानबीन एवं स्थानीय स्तर पर की गई पूछताछ के दौरान जानकारी मिली कि बालक पिछले लगभग दो वर्षों से एक परिवार के साथ रह रहा था, जो फेरी लगाकर अपना जीवनयापन करता है। दिनांक 03 जून 2026 को प्राप्त सटीक सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए बालक को सकुशल बरामद कर लिया।

पूछताछ में बालक ने बताया कि वह वर्ष 2023 में घर से नाराज होकर स्वयं चला गया था तथा उक्त परिवार के साथ अपनी इच्छा से रह रहा था। बालक ने यह भी स्पष्ट किया कि उसके साथ किसी प्रकार की जबरदस्ती अथवा दुर्व्यवहार नहीं किया गया।

बरामदगी के उपरांत जब बालक की पहचान कर उसे उसके पिता एवं परिजनों से मिलवाया गया, तो तीन वर्षों की पीड़ा और इंतजार खुशी के आंसुओं में बदल गया। परजनों ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे लिए देवदूत बनी महोबा पुलिस इस भावुक माहौल के बीच पुलिस कर्मियों ने परिवार को सांत्वना देते हुए आवश्यक विधिक प्रक्रिया पूर्ण कराई तथा आगे की कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की।

यह सफलता महोबा पुलिस के थाना एएचटी एवं थाना महोबकंठ पुलिस की सतर्कता, समन्वय और अथक प्रयासों ने एक परिवार की बिछड़ी खुशियां वापस लौटाकर पुलिस के प्रति जनविश्वास को और मजबूत किया है।

विशेष उल्लेख: इस सम्पूर्ण अभियान में थाना एएचटीयू प्रभारी निरीक्षक श्री अवधेश कुमार मिश्र की सक्रिय भूमिका, कुशल नेतृत्व एवं टीम के प्रभावी समन्वय ने सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके परिणामस्वरूप तीन वर्षों से गुमशुदा बालक को सकुशल बरामद कर उसके परिजनों से मिलाया जा सका।

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:

1. प्रभारी निरीक्षक अवधेश कुमार मिश्र, थाना एएचटी महोबा
2. उ.नि. लायक सिंह 3. उ.नि. लाल बहादुर 4. का0 कौशिक सिंह 5. म0का0 कविता देवी 6. का0 आनन्द कुमार

दिनांक- 04.06.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 135/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर – थाना कबरई

थाना कबरई पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती बन्दना सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में जनपद में अपराध एवं अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कबरई पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

थानाध्यक्ष श्री सत्यवेन्द्र सिंह के निर्देशन में गठित पुलिस टीम द्वारा दिनांक 04.06.2026 को उ0नि0 आकाश मौर्य मय हमराह रि0आ0 रूपलाल एवं रि0आ0 किशन कुमार द्वारा एक अभियुक्त बंशगोपाल पुत्र मइयादीन, उम्र करीब 50 वर्ष, निवासी ग्राम सिंघनपुर बघारी थाना कबरई जनपद महोबा को ग्राम रामआसरी पुलिया, बह्द ग्राम सिंघनपुर बघारी (फासला करीब 12 किमी, जानिब उत्तर-पश्चिम) से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से एक झोले में 21 अदद क्वार्टर अवैध देशी शराब (ब्राण्ड "झूम") बरामद की गई।

उक्त बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना कबरई पर मु0अ0सं0 123/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तारी के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग के आदेशों/निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः

1. उ0नि0 आकाश मौर्य
2. रि0आ0 रूपलाल
3. रि0आ0 किशन कुमार

गिरफ्तार अभियुक्तः

बंशगोपाल पुत्र मइयादीन, उम्र करीब 50 वर्ष

निवासी – ग्राम सिंघनपुर बघारी, थाना कबरई, जनपद महोबा

बरामदगी का विवरण :

एक झोले में 21 अदद क्वार्टर अवैध देशी शराब (ब्राण्ड "झूम")

दिनांक- 04.06.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 136/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़ – थाना पनवाड़ी

थाना पनवाड़ी पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक जनपद महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल नेतृत्व में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकान्त गोंड के पर्यवेक्षण में, प्रभारी निरीक्षक थाना पनवाड़ी जनपद महोबा श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह के निर्देशन में गठित पुलिस टीम द्वारा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभावी कार्यवाही की गई।

उक्त क्रम में वरि0उ0नि0 महेन्द्र कुमार वर्मा मय हमराह का0 इन्द्रपाल चौहान व का0 सचिन विश्वकर्मा द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त घनाराम पुत्र गोरेलाल राजपूत, उम्र करीब 59 वर्ष, निवासी ग्राम सिमरिया थाना पनवाड़ी जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध मु0नं0 70/2017 एवं मु0अ0सं0 147/2016 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत वारंट लंबित था। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को ग्राम सिमरिया से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

घनाराम पुत्र गोरेलाल राजपूत, उम्र लगभग 59 वर्ष निवासी ग्राम सिमरिया थाना पनवाड़ी जनपद महोबा

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:

1. वरि0उ0नि0 महेन्द्र कुमार वर्मा, थाना पनवाड़ी जनपद महोबा
2. आरक्षी इन्द्रपाल चौहान, थाना पनवाड़ी जनपद महोबा
3. आरक्षी सचिन विश्वकर्मा, थाना पनवाड़ी जनपद महोबा

दिनांक- 04.06.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 137/26

महोबा पुलिस

❖ मिशन शक्ति 5.0 (द्वितीय चरण) के अंतर्गत महिला सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण की ओर सशक्त पहल

❖ महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण एवं साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

- महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए महोबा पुलिस द्वारा मिशन शक्ति 5.0 के द्वितीय चरण के अंतर्गत जनपद महोबा में व्यापक एवं प्रभावी जनजागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है।
- पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर समाज के सभी वर्गों को जागरूक किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत महिलाओं एवं बच्चों से जुड़े महत्वपूर्ण सामाजिक विषयों—जैसे लिंगानुपात, लैंगिक समानता, बाल विवाह, लैंगिक शोषण, महिलाओं एवं बच्चों के प्रति हिंसा, साक्षरता एवं स्वास्थ्य—पर विशेष रूप से प्रकाश डालते हुए जनमानस को जागरूक किया गया।
- इसी क्रम में जनपद के समस्त थानों की मिशन शक्ति टीमों द्वारा कोचिंग संस्थानों, बाजारों एवं ग्राम सभाओं में संवाद कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं एवं बालिकाओं को गुड टच-बैड टच, आत्मरक्षा के उपाय, महिला उत्पीड़न से संबंधित विधिक अधिकारों तथा विभिन्न हेल्पलाइन सेवाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।
- साथ ही वर्तमान समय में बढ़ते साइबर अपराधों को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन फ्रॉड, फर्जी कॉल/लिंक, सोशल मीडिया का दुरुपयोग, बैंकिंग धोखाधड़ी एवं OTP साझा न करने के संबंध में विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया।

महोबा पुलिस

दिनांक- 04.06.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 138/26

यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु ओवरस्पीड वाहनों पर कार्रवाई की गयी एवं सघन चेकिंग अभियान चलाया गया...।

- पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़, सुरक्षित एवं सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से विशेष अभियान निरंतर संचालित किया जा रहा है।

- इसी क्रम में प्रभारी यातायात महोबा श्री सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में यातायात पुलिस टीम द्वारा कानपुर–सागर नेशनल हाईवे पर स्पीड राडार गन के माध्यम से मानक गति से अधिक गति से संचालित हो रहे कुल 42 वाहनों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए ओवरस्पीडिंग के चालान किए गए तथा 121 वाहनों का अन्य यातायात नियमों का पालन न करने में चालान की कार्यवाही अमल में लायी गयी है।

- साथ ही, सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति आमजन में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से लवकुश नगर तिराहा क्षेत्र में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान वाहन चालकों को हेलमेट एवं सीट बेल्ट के प्रयोग, निर्धारित गति सीमा का पालन करने तथा यातायात नियमों का अनुपालन करने हेतु जागरूक किया गया।

जनपदवासियों से अपील की गई है कि–

- निर्धारित गति सीमा का पालन करें
- वाहन चलाते समय हेलमेट/सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें
- यातायात नियमों का पालन कर स्वयं व दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करें

महोबा पुलिस

दिनांक- 04.06.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 139/26

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा आरक्षी भर्ती परीक्षा-2025 को सुचितापूर्ण, सकुशल संपन्न कराये जाने हेतु व्यापक ब्रीफिंग की गयी, दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश...।

जनपद महोबा में आगामी 08, 09 एवं 10 जून 2026 को आयोजित होने वाली आरक्षी पुलिस भर्ती परीक्षा-2025 को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं सकुशल संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से आज अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह एवं अपर जिलाधिकारी महोबा श्री कुंवर पंकज द्वारा नामित परीक्षा पर्यवेक्षक, केंद्र पर्यवेक्षकों तथा पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ एक महत्वपूर्ण गोष्ठी कर विस्तृत ब्रीफिंग की गई।

यह ब्रीफिंग जिला सेवायोजन कार्यालय स्थित सभाकक्ष में आयोजित की गई, जिसमें परीक्षा से संबंधित प्रत्येक बिंदु पर विस्तार से चर्चा करते हुए भर्ती बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाइन का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

अधिकारियों द्वारा स्पष्ट निर्देशित किया गया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक केंद्र पर सीसीटीवी निगरानी, विद्युत एवं इंटरनेट की निर्बाध व्यवस्था तथा पेयजल की व्यवस्था बनाए रखते हुए अभ्यर्थियों की सुगम एवं व्यवस्थित आवाजाही सुनिश्चित की जाए। परीक्षा के दौरान कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने, संवेदनशील स्थलों पर विशेष सतर्कता बरतने तथा चेकिंग एवं फ्रिस्किंग प्रक्रिया को प्रभावी एवं पारदर्शी ढंग से संचालित करने हेतु भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

इसके अतिरिक्त परीक्षा से संबंधित गोपनीय सामग्री की सुरक्षा, सुरक्षित परिवहन एवं समयबद्ध वितरण को पूर्णतः निर्धारित मानकों के अनुरूप एवं कड़ी निगरानी में संपन्न कराने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने यह भी निर्देशित किया कि परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने हेतु पुलिस एवं प्रशासन के मध्य सुदृढ़ समन्वय स्थापित करते हुए सभी आवश्यक तैयारियां समय से पूर्ण कर ली जाएं।

जनपद प्रशासन एवं पुलिस विभाग द्वारा आश्वस्त किया गया कि परीक्षा की शुचिता एवं पारदर्शिता बनाए रखने हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी तथा अभ्यर्थियों को निष्पक्ष वातावरण प्रदान किया जाएगा।

दिनांक- 04.06.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 140/26

महोबा पुलिस

अग्निशमन टीम जनपद महोबा।

होटल-रेस्टोरेंट में फायर ऑडिट के साथ मॉक ड्रिल, अग्निशमन टीम ने दिया सुरक्षा प्रशिक्षण

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन में जनपद महोबा में ग्रीष्म ऋतु के दृष्टिगत अग्नि सुरक्षा एवं संभावित अग्नि दुर्घटनाओं से बचाव हेतु विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है।

इसी क्रम में प्रभारी अग्निशमन अधिकारी श्री महेन्द्र सिंह के नेतृत्व में अग्निशमन टीम, जनपद महोबा द्वारा उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा मुख्यालय, लखनऊ द्वारा संचालित स्कीम नंबर-05 के अंतर्गत जनपद में संचालित विभिन्न होटल एवं रेस्टोरेंट का फायर ऑडिट किया जा रहा है।

आज दिनांक 04.06.2026 को उक्त अभियान के अंतर्गत होटल हंड्रेड पाम एवं होटल मीरा हेरिटेज में मॉक ड्रिल का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान होटल स्टाफ को आग लगने की स्थिति में त्वरित एवं प्रभावी प्रतिक्रिया देने के संबंध में विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया गया। साथ ही, सभी कर्मचारियों को अग्निशमन यंत्रों के सुरक्षित एवं प्रभावी संचालन का व्यावहारिक अभ्यास कराया गया।

अग्निशमन टीम द्वारा होटल परिसर में उपलब्ध अग्नि सुरक्षा उपकरणों का निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए, जिससे किसी भी आपात स्थिति में जन-धन की हानि को न्यूनतम किया जा सके।

जनपद पुलिस एवं अग्निशमन विभाग द्वारा आमजन एवं संस्थानों से अपील की गई है कि वे अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन करें तथा अपने-अपने प्रतिष्ठानों में आवश्यक अग्निशमन उपकरणों की नियमित जांच सुनिश्चित करें, जिससे किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।